<u>न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।</u>

<u>प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या- 173/2026</u>

श्रीमती अनमोल केसरवानी आदि बनाम अनूप कुमार आदि

अं. आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.
(संबंधित निष्पादन वाद संख्या- 01/2025,
त्रियुगी नारायण गुप्ता आदि बनाम रमेश चंद्र जायसवाल)

<u>दिनांक- 24.08.2026</u>

प्रस्तुत। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र 5 क अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की पोषणीयता एवं प्रार्थना पत्र 22 ग पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 01.09.2026 को प्रस्तुत हो।

(अभय प्रताप सिंह-।)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज।
J.O.CODE- UP6315

<u>दिनांक- 01.09.2026</u>

प्रस्तुत। पत्रावली आज प्रार्थीगण श्रीमती अनमोल केसरवानी आदि के प्रार्थना पत्र 5 ग एवं 22 ग पर आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थीगण श्रीमती अनमोल केसरवानी आदि द्वारा अपना प्रार्थना पत्र कागज सं. 5 ग अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय शपथपत्र 6 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण ने मकान नं.- 1525/1040, मुट्ठीगंज, परगना व तहसील- सदर, जिला- प्रयागराज के जुज भाग 389.09 वर्गमीटर का पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.11.2025 को उसके पूर्व स्वामी से मु. 1,50,00,000/- रूपये (एक करोड़ पचास लाख रूपये) प्रतिफल अदा करके प्राप्त किया है और बैनामा के दिन से प्रार्थीगण उक्त मकान के खरीदे हुए भाग पर बतौर मालिक काबिज व दखल रहे चले आ रहे हैं। उक्त मकान नं.- 1525/1040 मुट्ठीगंज की मालकिन पूर्व में स्व. पार्वती देवी थीं जिनको उक्त मकान अपने पति स्व. रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 03.05.1995 से प्राप्त हुआ था। उक्त पूर्व मालकिन पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विजय कुमार गुप्ता को उक्त संपत्ति प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान की खरीददारी के वक्त पार्वती देवी का नाम नगर निगम खसरा में दर्ज था। उक्त मकान के खरीदे गये भाग का भौतिक कब्जा प्रार्थीगण के पास बैनामा की तिथि से है। विपक्षी अनूप कुमार गुप्ता ने गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त पंजीकृत बैनामा के जरिये प्राप्त की गई संपत्ति/भवन को कब्जा करने की धमकी दिया, जिसपर मजबूर होकर प्रार्थीगण ने मूल वाद सं.- 179/2026 श्रीमती अनमोल केसरवानी आदि बनाम पूजा गुप्ता आदि वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल जज (व.श्रे.) इलाहाबाद के न्यायालय में दाखिल किया, जिसमें न्यायालय सिविल जज (व.श्रे.), इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19.02.2026 को अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के कोर्ट अमीन द्वारा प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण द्वारा खरीदे गये मकान से बेदखली का परवाना इजरा वाद सं. 01/2025 त्रियुगी नारायण गुप्ता व अन्य बनाम रमेश चंद्र जयसवाल में मा. न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान में खरीदे गये किसी भी अंश पर रमेश चंद्र जयसवाल का कोई कब्जा व दखल नहीं है। बैनामा प्राप्त करने से पूर्व

प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी की जानकारी नहीं रही है। प्रार्थीगण द्वारा खरीदे गये उक्त भाग से सटा हुआ प्रार्थीगण का रिहायशी मकान स्थित है। विपक्षीगण ने यदि कोई फर्जी डिक्री धोखाधड़ी एवं फ्राड करके प्राप्त किया है, जिसके तहत बेदखली का परवाना विवादित मकान के संबंध में जारी किया गया है तो उसकी कोई भी बाध्यता प्रार्थीगण पर कानूनन नहीं है। विपक्षीगण को कोई भी कानूनी अधिकार प्रार्थीगण को विवादित संपत्ति से लघुवाद सं.- 19/2021 से व्युतपन्न इजरा वाद सं. 01/2025 में जारी परवाना के आधार पर बेदखल करने का नहीं है। लघुवाद सं. 19/2021 में पारित डिक्री से संबंधित इजरा वाद सं.- 01/2025 में जारी परवाना निरस्त किया जावे, क्योंकि प्रार्थीगण लघुवाद सं. 19/2021 में पक्षकार नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा निर्णीत लघुवाद सं.- 19/2021 में पारित आज्ञप्ति से संबंधित लंबित इजराय वाद सं.- 01/025 में जारी परवाना निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

आपत्तिकर्तागण/आज्ञप्तिधारीगण अनूप कुमार गुप्ता आदि की ओर से अपनी लिखित आपत्ति 14 ग मय शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र 5 ग के कथनों का खंडन करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण श्रीमती अनमोल केसरवानी को अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. देने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। आपत्तिकर्तागण उपरोक्त इजरा वाद में डिक्रीधारी है जिसको मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन सं.- 67/2021 में आदेश व डिक्री दिनांकित 24.09.2024 को पारित किया गया है। आपत्तिकर्तागण को डिक्रीत संपत्ति अपने पक्ष में हुए दो किता बयनामा दिनांक 05.08.2010 के तहत प्राप्त हुई है। अपने पक्ष में हुए उक्त बैनामा के पश्चात आपत्तिकर्तागण ने बैनामाकर्ती स्व. पार्वती देवी के स्थान पर नगर निगम के खसरे में अपने क्रयशुदा मकान पुराना नं. 1040 बादहू 1525 के स्थान पर 1525 सी व 1525 डी नंबर प्राप्त कर लिया जो नगर निगम अभिलेखों में स्वामी के कालम नं. 4 में बदस्तूर मालिक व स्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा है। मा. उच्च न्यायालय में स्वामित्व के उक्त दस्तावेज के आधार पर मालिक व स्वामी मानते हुए आपत्तिकर्तागण के पक्ष में डिक्री पारित किया गया, जिसका निष्पादन मा. न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। मा. न्यायालय में इजरा वाद दिनांक 05.04.2025 को दाखिल किया गया है। निर्णीतऋणी रमेश चंद्र जायसवाल व विजय कुमार गुप्ता द्वारा आपत्ति धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गई तथा दोनो निर्णीत ऋणीगण की आपत्ति अंतर्गत धारा 47 सी.पी.सी. दिनांक 07.02.2026 को निरस्त की जा चुकी है। इजरा कार्यवाही के दरम्यान निर्णीतऋणी विजय कुमार गुप्ता जिनके पास वसीयत दिनांक 03.05.1995 द्वारा कोई स्वत्व व हक न होते हुए प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद के प्रार्थीगणों के पक्ष में अवैधानिक तरीके से धन अर्जन करने हेतु फर्जी बैनामा दिनांक 27.11.2025 निष्पादित किया, जो कि कानूनन शून्य है। प्रार्थीगणों के पक्ष में हुए उक्त बैनामे से आपत्तिकर्तागण को प्राप्त डिक्रीत संपत्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। निर्णीत ऋणी विजय कुमार गुप्ता को अनअथराइज कहकर संबोधित मा. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 24.09.2024 के पेज नं.- 7-8 के पैरा 18 में कोड किया गया है। उसी पैराग्राफ में यह भी कोड किया गया है कि निर्णीत ऋणी विजय कुमार गुप्ता के पास कोई टाइटिल तथा स्वत्व नहीं है। प्रार्थना पत्र में जो अंतरिम निषेधाज्ञा वाद सं.- 179/2026 दिनांक 19.02.2026 के बावत कहा गया है कि उससे डिक्रीधारी के इजरा कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी व राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रभावी नहीं होगा। बेदखली का परवाना निर्णीतऋणी के विरूद्ध जारी है। निर्णीतऋणी प्रार्थीगणों के साथ षडयंत्र करके इजरा कार्यवाही में विलंब कारित करना चाहता है। निर्णीतऋणीगण विचारण, रिवीजन तथा इजरा

में धारा 47 सी.पी.सी. निस्तारण प्रक्रिया में भी प्रार्थीगणों के परिवार के गोपाल केसरवानी को कब्जा सौंपने का असत्य कथन करते हुए संशोधन कर पक्षकार बनना चाहता था जो कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। प्रार्थीगणों को इजरा तथा उससे संबंधित मुकदमे की पर्याप्त जानकारी है। प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

प्रार्थीगण श्रीमती अनमोल केसरवानी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.05.2026, कागज सं.- 22 ग मय शपथ पत्र 23 ग प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की सुनवाई वाद बिंदु विरचित कर साक्ष्य का अवसर देते हुए नियमित वाद की तरह कर निर्णीत किये जाने की याचना की गई।

आपत्तिकर्तागण अनूप कुमार गुप्ता आदि की ओर से अपनी आपत्ति 24 ग मय शपथपत्र 25 ग प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र 22 ग के कथनों का खंडन करते हुए कथन किया गया है कि प्रकीर्ण वाद का निस्तारण मूल वाद की तरह वाद बिंदु विरचित करते हुए साक्ष्य का अवसर देने की याचना विधि विरूद्ध तथा डिक्रीधारक/आपत्तिकर्तागण की इजरा कार्यवाही में अप्रासंगिक है, मात्र इजरा कार्यवाही में विलंब कारित करने हेतु दिया गया है जो कि सव्यय निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पूर्व नियत तिथि पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

विदित हुआ कि प्रार्थीगण श्रीमती अनमोल केसरवानी आदि द्वारा अपने प्रार्थनापत्र 5 ग में प्रार्थीगण द्वारा मकान नं. 1525/1040, मुट्ठीगंज, परगना व तहसील सदर, जिला प्रयागराज के जुज भाग 389.09 वर्गमीटर को जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांकित 27.11.2025 उसके पूर्व स्वामी विजय कुमार गुप्ता से क्रय कर उसपर बतौर स्वामी काबिज होने तथा उसके संबंध में कोर्ट अमीन द्वारा इजरावाद सं.- 01/2025, त्रियुगी नारायण गुप्ता आदि बनाम रमेश चंद्र जयसवाल में न्यायालय द्वारा दखल परवाना जारी किये जाने की प्रार्थीगण को जानकारी होने का कथन करते हुए यह भी कथित किया गया है कि यदि विपक्षीगण ने धोखाधड़ी एवं फ्राड करके कोई फर्जी डिक्री प्राप्त किया है, जिसके निष्पादन में बेदखली का परवाना विवादित मकान के संबंध में जारी किया गया है तो उसकी कोई बाध्यता प्रार्थीगण पर कानूनन नहीं है क्योंकि लघुवाद सं.- 19/2021 में पक्षकार नहीं थे। जबकि आपत्तिकर्तागण/आज्ञप्तिधारीगण की ओर से अपनी लिखित आपत्ति 14 ग में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देने का कोई कानूनी या विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि कथित बैनामाकर्ता विजय कुमार गुप्ता लघुवाद सं.- 19/2021 में पक्षकार था।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 5 ग में विवादित मकान का कथित जुज भाग पूर्व स्वामी विजय कुमार गुप्ता से क्रय करना स्वीकार करते हुए उक्त विजय कुमार गुप्ता को उक्त संपत्ति अपनी मां पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होना कथित किया है, यहां यह उल्लेखनीय है कि संबंधित लघुवाद सं.- 19/2021 में उक्त पार्वती देवी तथा पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विजय कुमार गुप्ता बतौर प्रतिवादी पक्षकार रहे हैं। आपत्तिकर्ता/आज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त डिक्रीत संपत्ति पार्वती देवी द्वारा निस्तारित दो किता बैनामा दिनांकित 05.08.2010 द्वारा प्राप्त होना कथित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एस.सी.सी. रिवीजन संख्या- 67/2021, संबंधित लघुवाद सं.- 19/2021 में पारित डिक्री के निष्पादन में संबंधित निष्पादन वाद सं 01/2025 स त्रियुगी नारायण गुप्ता आदि बनाम रमेश चंद्र जयसवाल के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति अंतर्गत धारा 47 सी.पी.सी., प्रकीर्ण वाद सं.- 02/2025 (कंम्प्यूटरीकृत प्रकीर्ण वाद सं.- 899/2025) विजय कुमार गुप्ता बनाम त्रियुगी नारायण गुप्ता आदि में भी उक्त विजय कुमार गुप्ता द्वारा

आज्ञप्तिधारी के पक्ष में अपनी मां पार्वती देवी द्वारा विक्रीत संपत्ति के संबंध में किये गये उक्त बैनामों व पारित आज्ञप्ति के फर्जी होने आदि आधारों पर की गई आपत्ति को उक्त प्रकीर्ण वाद संप्रकीर्ण वाद सं.- 02/2025 (कंम्प्यूटरीकृत प्रकीर्ण वाद सं.- 899/2025), विजय कुमार गुप्ता बनाम त्रियुगी नारायण गुप्ता आदि में पूर्व पीठासीन न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.02.2026 द्वारा गुण-दोष के आधार पर निरस्त की जा चुकी है। विक्रीत संपत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.सी.सी. रिवीजन संख्या-67/2021, संबंधित लघुवाद सं.- 19/2021 में पारित डिक्री, जिसकी छायाप्रति संबंधित इजरा वाद सं 01/2025 में बतौर कागज सं. 8 घ संलग्न है में भी उक्त विजय कुमार गुप्ता बतौर विपक्षीगण/प्रतिवादी सं.- 02/1 के रूप में अंकित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Alka Shrirang Chavan and another vs Hemchandra Rajaram Bhonsale and others, 2026 Law Suit (SC) 53** में यह अभिमत दिया है कि

Explaining the aforesaid doctrine, this court has held that nothing new can be introduced during the pendency of a petition and if anything new is introduced, the same would be subject to the final outcome of the petition. This court explained that the doctrine of lis pendens is duly recognized in section 52 of the transfer of property act which declares that during the pendency of any suit in which any right to immovable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceedings. Explanation to section 52 clarifies that pendency of a suit or procedings shall be deemed to commence from the date of presentation of the plaint or institution of the proceding in a court and shall continue until the suit or procedings is disposed of by a final decree or order and complete satisfaction of the order is obtained, unless it has become unobtainable by reason of expiry of any period of limitation. This court held thus:

156. As per the doctrine of lis pendens, nothing new can be introdeced during the pendency of a petition and if at all anything new is introduced, the same would also be subject to the final outcome of the petition, which decide the rights and obligations of the parties.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Usha Sinha vs Dina Ram 2008 Law Suit (SC) 290** में यह प्रावधानित किया है कि

Bare reading of the rule makes is clear that is is based on justice, equity and good conscience. A transferee from a judgement debtor is presumed to be aware of the procedings before a court of law. He should be careful before he purchases the property which is the subject matter of litigation. It recognizes the doctrine of lis pendens recognized by section 52 of the transfer of property act 1882 Rule 102 of order XXI of the code thus takes into account the ground reality and refuses to extend helping hand to purchasers of property in respect of which litigation is pending. If unfair, inequitable of underserved protection is afforded to a transferee pendente lite, a decree holder will never be able to realize the fruits of his decree. Every time the decree holder seeks a direction from a court to execute the decree, the judgement debtor or his transferee will transfer the property and the new transferee will offer resistance or cause obstruction. To avoid such a situation, the rule has been enacted.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रस्तुत मामले में दौरान लंबन निष्पादन वाद विक्रीत डिक्रीत संपत्ति का कथित जुज भाग संबंधित लघुवाद सं.- 19/2021 में पक्षकार रहे उक्त विजय कुमार गुप्ता से क्रय करने वाले प्रार्थीगण का यह कथित आधार कि इजरायवाद 1/2025 में जारी दखल परवाना की उनपर कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण संबंधित लघुवाद सं.- 19/2021 में पक्षकार नहीं रहे हैं, इसलिए उसे निरस्त किया जाए, विधितः संधार्य नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एस.सी.सी. रिवीजन संख्या- 67/2021, संबंधित लघुवाद सं.- 19/2021 में पारित डिक्री में बतौर प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी सं. 2/1, विजय कुमार गुप्ता से डिक्रीत संपत्ति का जुज भाग प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया जाना कथित है, उक्त संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 97 व 102 के निम्न प्रावधान उल्लेखनीय हैं–

<u>आदेश 21 नियम 97 सिविल प्रक्रिया संहिता– स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा–</u>

1. जहां स्थावर संपत्ति के कब्जे की डिक्री के धारक का या डिक्री के निष्पादक में विक्रय की गई ऐसी किसी संपत्ति के क्रेता का ऐसी संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय से कर सकेगा।

2. जहां कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन किया जाता है वहां न्यायालय उस आवेदन पर न्याय निर्णयन इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार करने के लिए अग्रसर होगा।

<u>आदेश 21 नियम 102 सिविल प्रक्रिया संहिता- वादकालीन अंतरिती को इन नियमों का लागू न होना-</u>

नियम 98 और नियम 100 में की कोई भी बात स्थावर संपत्ति के कब्जे की डिक्री के निष्पादन में उस व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतिरोध या डाली गई बाधा को या किसी व्यक्ति के बेकब्जा किये जाने को लागू नहीं होगी, जिसे निर्णीतऋणी ने वह संपत्ति उस वाद के जिसमें डिक्री पारित की गई थी, संस्थित किये जाने के पश्चात अंतरित की है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Alka Shrirang Chavan and another vs Hemchandra Rajaram Bhonsale and others, 2026 Law Suit (SC) 53** में यह अभिमत दिया है कि

61. The Next case on this issue **Usha Sinha vs Dina Ram 2008 7 SCC 144.** After agreeing with the proposition of law laid down in silverline, this Court held as under:

25. We are in respectful agreement with the proposition of law laid down by this court in silverline forum. In our opinion, the doctrine is based on the principle that the person purchasing property from the judgement-debtor during the pendency of the suit has no independence right to property to resist, obstruct or object execution of a decree. Resistence at the instance of transferee of a judgment- debtor during the pendency of the procedings cannot be said to be resistance or obstruction by a person in his own right and therefore is not entitled to get his claim adjudicated.

26. For invoking Rule 102, it is enough for the decree holder to show that the person resisting the possession or offering obstruction is claiming his title to the property after the institution of the suit in which decree was passed and sought to be executed against the judgement debtor. If the said condition is fulfilled, the case falls within the mischief of rule 102

and such applicant cannot place reliance either on rule 98 or rule 100 of order 21.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के उक्त विधिक प्रावधानों के प्रकाश में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ग अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विधितः पोषणीय नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 5ग अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विधितः पोषणीय नहीं है, ऐसी दशा में उक्त प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद के निस्तारण में नियमित वाद की भांति कोई अन्य अग्रिम कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22ग तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण श्रीमती अनमोल केसरवानी आदि का प्रार्थना पत्र क्रमशः कागज सं.- 5ग व 22ग निरस्त किये जाते हैं। आदेश की एक प्रति संबंधित निष्पादन वाद संख्या-01/2025 में रखी जाय।

दिनांक- 01.09.2026

(अभय प्रताप सिंह-।)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज।
J.O.CODE- UP6315

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.09.01 11:32:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court